दिनांक 21 सितंबर, 2017 को एफ.डी.ए भवन, नई दिल्ली में 1100 बजे आयोजित
खाद्य प्राधिकरण की 24वीं बैठक का कार्यवृत्त

1. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई) की 24वीं बैठक दिनांक 21 सितंबर, 2017 के 1100 बजे एफ.डी.ए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली में श्री आशीष बहुगुणा, अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई की अध्यक्षता में हुई थी। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की सूची **संलग्न** है।

2. सुश्री माध्वी दास, मुख्य प्रबंधन सेवा अधिकारी (सीएमएसओ), एफ.एस.एस.ए.आई ने प्राधिकरण के सदस्यों और उद्योग के विशेष आमंत्रितों का बैठक में स्वागत किया।

मद सं0 I :
25 मई, 2017 को हुई 23वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

23वीं बैठक का कार्यवृत्त सभी सदस्यों को परिचालित किया गया था। कार्यवृत्त पर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। कार्यवृत्त का अनुमोदन कर उसे अपना लिया गया।

मद सं0 II : 23वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

सदस्यों ने की गई कार्रवाई की रिपोर्ट नोट की।

मद सं0 III : मुख्य कार्यकारी अधिकारी की रिपोर्ट

श्री पवन अग्रवाल, सी.ई.ओ, एफ.एस.एस.ए.आई ने सदस्यों को चल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला (एफएफटीएल), जिसे अब चल खाद्य सुरक्षा (एफएसडब्ल्यू) कहा जाता है शुरू करने, चार रेफरल खाद्य प्रयोगशालाओं और छह निजी प्रयोगशालाओं की अधिसूचना, एफ.एस.एस.ए.आई और राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग एजेंसी (एन.ए.डी.ए) के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन और एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा दिनांक 17 से 22 जुलाई, 2017 तक जेनेवा, स्विटजरलैंड में कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के चालीसवें सत्र में भाग लेने के बारे में अवगत कराया। उन्होंने खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन (फोस्टक), खाद्य स्मार्ट उपभोक्ता पोर्टल और एस.एन.एफ पोर्टल नामक तीन नई पहलों के बारे में जानकारी दी।

मद सं0 IV: कार्यसूची की मदें

कार्यसूची की मद सं0 24.1

खाद्य मानक -

क. नए विनियम खाद्य;

क) अंतिम अधिसूचना:

(1) खाद्य सुरक्षा और मानक (जैव खाद्य) विनियम, 2017

वैज्ञानिक समिति की सिफारिशों और सचिवालय की सम्मतियों पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने इस आशय का उपबंध जोड़ने का निर्णय लिया कि 'जैव खाद्य में पेस्टीसाइडों की अधिकतम अवशिष्ट सीमाएँ एलओक्यू के समान अथवा खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 में निर्धारित विभिन्न

पेस्टीसाइडों और खाद्यों की अधिकतम अवशिष्ट सीमाओं की 5%, जो भी अधिक हो, होंगी।' अध्याय III के विनियम 12 में 'अथवा बहुपक्षीय' शब्द रखने का निर्णय भी लिया गया।

प्राधिकरण ने इन संशोधनों के साथ अंतिम अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

2. (क) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य पौष्टिकीकरण) विनियम, 2017;

फिक्की से विशेष आमंत्रिति सुश्री पर्णा दासगुप्ता ने आशंका प्रकट की कि विश्वसनीय परीक्षण पद्धतियों के अभाव में प्राकृतिक और योजित पौष्टिक तत्वों में अंतर करना कठिन होगा जिससे उद्योग के समक्ष विनियमात्मक चुनौतियाँ उठ खड़ी होंगी। यह स्पष्ट किया गया कि योजित पौष्टिकीकरण का स्तर निर्धारित करके विनियमों के पालन का दायित्व उद्योग की जिम्मेदारी बनाई गई है और यह भी कि परीक्षण पद्धतियाँ एफ.एस.एस.ए.आई के परीक्षण और विश्लेषण पद्धति मैनुअल में पहले ही विहित हैं।

प्राधिकरण की पूर्व सदस्या और ए.आई.एफ.पी.ए से विशेष आमंत्रिति सुश्री श्रेया पांडेय ने कोडेक्स के अंतर्गत दी गई अनुमति के अनुसार लवण को शिशु दुग्ध फॉर्मूले के पौष्टिकीकरण के लिए अनुमत पोषक तत्वों की सूची में शामिल करने का सुझाव दिया।

प्राधिकरण ने कार्यसूची में यथाप्रस्तावित अंतिम अधिसूचना का अनुमोदन किया और सचिवालय को वैज्ञानिक पैनल को लवण को शिशु दुग्ध फॉर्मूला के पौष्टिकीकरण के लिए अनुमत लवणों की सूची में शामिल करने के प्रस्ताव की समीक्षा के लिए वैज्ञानिक पैनल को अनुरोध करने का निर्देश दिया। विनियमों का अनुपालन करने के लिए उद्योग को पर्याप्त समय देने का निर्णय भी लिया गया।

2. (ख) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य पौष्टिकीकरण) विनियम, 2017 में पौष्टित प्रसंस्कृत खाद्य मानकों का सम्मिलन

उद्योग के प्रतिनिधियों ने महसूस किया कि एच.एफ.एस.एस. खाद्य की सख्त परिभाषा के कारण अनेक उत्पाद श्रेणियों को पौष्टित नहीं किया जा सकेगा। यह भी महसूस किया गया कि एच.एफ.एस.एस. खाद्य की परिभाषा श्रेणीवार भिन्न होगी। व्यापक विचार-विमर्श के बाद इस विनियम से एच.एफ.एस.एस खाद्य की परिभाषा हटाने और उसकी जगह उसे उपयुक्त पुनरीक्षा के बाद लेबलिंग विनियमों में शामिल करने का निर्णय लिया गया, जिससे वह सभी विनियमों के लिए लागू होगी। इन विनियमों के साथ अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन के बाद खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य पौष्टिकीकरण) विनियम, 2017 के प्रस्तावित मसौदे को अधिसूचित किया जा सकता है।

ख. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के संबंध में खाद्य मानक

क) अंतिम अधिसूचनाएँ

(1) धान्य और धान्य उत्पाद मसौदा अधिसूचना दिनांक 23.03.2017

डूरम गेहूँ के संबंध में सुश्री श्रेया पांडेय ने बताया कि प्रस्तावित अधिसूचना में आर्द्रता अंश 13% है, जबकि कोडेक्स में यह 14.5% है। इस संबंध में यह सुपष्ट किया गया कि पैनल ने 13% आर्द्रता की सीमा की सिफारिश वैज्ञानिक अध्ययनों को ध्यान में रखते हुए की थी, जिनसे यह संकेत मिलता है कि 13% से अधिक आर्द्रता वाले अनाजों में एफ्लाटोक्सिन बन जाते हैं। आगे, उन्होंने कहा कि कण साइज, कुल एश इत्यादि जैसे कई अन्य मानदंड कोडेक्स से अधिक कठोर स्तर पर निर्धारित किए गए हैं।

ज्वार के आटे के संबंध में यह बताया गया कि कुल एश की सीमा 1.5% रखी गई जो कोडेक्स से अधिक सख्त है।

गेहूँ प्रोटीन उत्पादों में ग्लुटेन इंडेक्स ओर जल अवशोषण एक्टिविटी के प्रसंग में वैज्ञानिक समिति की सिफारिशों के संबंध में प्राधिकरण को सूचित किया गया कि गेहूँ प्रोटीन उत्पादों के मानक कोडेक्स मानकों से सुमेलित किए जा रहे हैं जिनमें इन मानदंडों की कोई सीमाएँ निर्धारित नहीं की गई हैं। इसे ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने प्रस्तावित मानकों में फिलहाल इन मनदंडों को शामिल न करने का निर्णय लिया और सुझाव दिया इस मामले पर धान्य और धान्य उत्पाद वैज्ञानिक पैनल द्वारा बाद में विचार किया जा सकता है।

इन अवलोकनों के साथ यह निर्णय लिया गया कि सहभागियों से एक सप्ताह के अंदर प्राप्त सुझावों, यदि कोई हों, पर विचार करने के बाद अंतिम अधिसूचना को आगे की कार्रवाई के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा प्राधिकरण की ओर से अनुमोदित कर दिया जाए।

(2) तेल और वसा मसौदा अधिसूचना दिनांक 23.03.2017

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर यथाप्रस्तावित अंतिम अधिसूचना का अनुमोदन किया।

(3) तेल और वसा मसौदा अधिसूचना दिनांक 19.06.2017

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर यथाप्रस्तावित अंतिम अधिसूचना का अनुमोदन किया।

(4) खाद्य सहयोज्य पदार्थ मसौदा अधिसूचना दिनांक 18.04.2017

पूर्व सदस्या और सीआईआई से विशेष आमंत्रिति सुश्री मीतू कपूर ने अनुवर्ती फॉर्मूले में भी लेसिथिन शामिल करने का प्रस्ताव रखा। यह सुपष्ट किया गया कि वर्तमान प्रस्ताव पीने के लिए तैयार शिशु दुग्ध विकल्पी में लेसिथिन के उपयोग के पूर्व प्रावधान को शामिल करने के लिए है, जो खाद्य सहयोज्य पदार्थो का उपबंधों में संशोधन करते समय गलती से लुप्त हो गया था।

प्राधिकरण ने अंतिम अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया और निर्णय लिया कि अनुवर्ती फॉर्मूले में लेसिथिन को शामिल करने के प्रस्ताव पर वैज्ञानिक पैनल द्वारा बाद में अलग से विचार किया जाएगा।

(5) जैविक खतरे मसौदा अधिसूचना दिनांक 10.10.2016, और

भागीदारों द्वारा उठाए गए कई मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित निर्णय लिए:

(i) कार्यसूची के पृष्ठ 48 पर 'असंतोषजनक परिणाम होने पर कार्रवाई' शीर्षक के अंतर्गत दूसरे पैराग्राफ के प्रथम वाक्य से '*बाजार में जारी करने के लिए*' वाक्यांश को समाप्त किया जाए;

(ii) कार्यसूची के पृष्ठ 49 पर 'प्रतिचयन योजनाएँ और दिशा-निर्देश' शीर्षक के अंतर्गत प्रथम पैराग्राफ में आखिरी वाक्य '*अंतिम निर्णय प्राप्त परिणामों के आधार पर लिया जाएगा और सूक्ष्म जैविक मानदंडों के पुन: परीक्षण का कोई उपबंध नहीं होगा*' को समाप्त किया जाए:

इन संशोधनों के साथ प्राधिकरण ने अंतिम अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया। ऊपर पैरा (i) और (ii) में प्रस्तावित कार्रवाई जैसी कार्रवाई सूक्ष्म जैविक अपेक्षाओं से संबंधित सभी विनियमों में की जाए। उद्योग के प्रतिनिधि के अनुरोध पर प्राधिकरण उत्पादकों को विनियमों के अनुपालन के लिए जुलाई 2018 तक का समय देने पर सहमत हुई। खुदरा विक्रेताओं के मामले में इन विनियमों को मौजूदा रीतियों और देश की अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध रूप में लागू किया जाएगा।

(6) मिठाइयाँ और मिष्टान्न मसौदा अधिसूचना दिनांक 20.02.2017

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर अंतिम अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि गुड़ के मानक पर कोडेक्स में कोलंबिया के प्रस्ताव के अनुसार 'गैर-अपकेंद्रित निर्जल गन्ने के रस' के रूप में पहले ही कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। उन्होंने गुड़ के लिए कोडेक्स मानक बनाने के लिए उस देश के साथ सहयोजित होने का सुझाव दिया।

(ख) मसौदा अधिसूचनाएँ:

1) **शिशु पोषण के खाद्य मानकों का पुनरीक्षण**
2) **बादाम गिरी**
3) **नारियल दुग्ध पाउडर (गैर डेयरी)**
4) **संश्लेषित सिरप मानकों का पुनरीक्षण**
5) **गारी (कसावा उत्पाद)**
6) **खाद्य कसावा आटा**
7) **बंगाली चने का भुना आटा – चना सत्तू**
8) **रागी का आटा**
9) **चावल के मानक का पुनरीक्षण**
10) **बासमती चावल**
11) **चिया के बीज**
12) **मिश्र मसाला पाउडर**
13) **मसाला ओलियोरेजिन**
14) **तेजपात**

15) **स्टार सौंफ**

16) **कैप्सूल बंद फेरस फ्यूमरेट (ईएफएफ) दोहरे पौष्टित लवण (डीएफएस) के लिए pH की ऊपरी सीमा की अपेक्षा की समाप्ति**

17) **फाइटोस्टैनॉल के मानक का पुनरीक्षण**

18) **खमीर और ऐसे ही उत्पाद सहित खाद्य की विभिन्न श्रेणियों में उपयोग के लिए सोर्बिटान मोनोस्टीएरेट के उपयोग का सम्मिलन**

19) **खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमों की पुनरीक्षा और हितधारकों की सम्मतियों के आधार पर खाद्य की विभिन्न श्रेणियों में उपयोग के लिए अतिरिक्त खाद्य सहयोज्य पदार्थों का अनुमोदन, और**

20) **मसालों और जड़ी-बूटियों के सूक्ष्म जैविक मानक।**

सुश्री मीतू कपूर की शिशु आहार विनियम के मसौदे पर कुछ सम्मतियाँ थीं, जिन्हें उन्हें मसौदा अधिसूचना के बाद प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

प्राधिकरण ने सभी बीस मदों की मसौदा अधिसूचनाओं का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

ग. खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 संबंधी खाद्य मानक

(क) खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 के उप-विनियम 2.3.1 का संशोधन मसौदा - पेस्टीसाइडों का सुमेलन

कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय से डॉ. अर्चना सिन्हा ने वैज्ञानिक पैनल द्वारा अनुशंसित अधिकतम अवशिष्ट सीमाएँ कोडेक्स से अधिक सख्त होने के मामलों में पेस्टीसाइडों की अधिकतम अवशिष्ट सीमाओं को कोडेक्स से सुमेलित करने के बारे में प्राधिकरण की पिछली बैठक के दृष्टिकोण का समर्थन किया। प्राधिकरण ने कार्यसूची में दिए गए वैज्ञानिक समिति के अवलोकनों को नोट किया और दिनांक 25 मई 2017 को हुई अपनी 23वीं बैठक में लिए गए निर्णय को दोहराया।

(ख) अंतिम अधिसूचनाएँ

पेस्टीसाइड और प्रतिजैविक अवशिष्ट मसौदा अधिसूचना दिनांक 20.04.2017

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर अंतिम अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(ग) मसौदा अधिसूचना:

पेस्टीसाइडों की एमआरएल का निर्धारण

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर 25 मई, 2017 को हुई अपनी 23वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार उन मामलों में पेस्टीसाइडों की अधिकतम अवशिष्ट सीमाओं को कोडेक्स से सुमेलित करने का निर्णय लिया जिनमें वैज्ञानिक पैनल द्वारा अनुशंसित अधिकतम अवशिष्ट सीमाएँ कोडेक्स में दी गई अधिकतम अवशिष्ट सीमाओं से अधिक सख्त हैं।

घ. खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिषेध और प्रतिबंध) विनियम, 2011;

(क) मसौदा अधिसूचना:

कुछ अपवादों को छोड़कर आयोडीनरहित लवण की बिक्री पर पूर्ण प्रतिषेध

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

ङ. खाद्य सुरक्षा और मानक (स्वास्थ्य पूरक, न्युट्रास्युटिकल्स, विशेष आहारिक उपयोग के लिए खाद्य, विशेष चिकित्सा प्रयोजन के लिए खाद्य, क्रियामूलक खाद्य और नवीन खाद्य) विनियम, 2016

(1) नए संघटकों का योजन

प्राधिकरण ने (स्वास्थ्य अनुपूरक, न्युट्रास्युटिकल्स, विशेष आहार विषयक उपयोग के लिए खाद्य, विशेष चिकित्सीय प्रयोजन के लिए खाद्य, कृत्यकारी खाद्य और नूतन खाद्य) विनियम, 2016 की विभिन्न अनुसूचियों के अंतर्गत शामिल करने के लिए वैज्ञानिक समिति द्वारा यथाअनुशंसित नए संघटकों का अनुमोदन किया। यह भी निर्णय लिया गया कि वैज्ञानिक समिति द्वारा नवंबर, 2017 तक अनुशंसित अन्य कोई संघटक भी अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन के बाद अधिसूचना के लिए प्रस्तावित मसौदा विनियम में शामिल कर लिया जाए। यह निर्णय लिया गया कि मसौदा विनियमों को दिनांक 1 जनवरी, 2018 से लागू किया जाएगा।

च. विविध:

(1) कंगारू मांस का सुरक्षात्मक मूल्यांकन

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर कृषि और जल संसाधन विभाग, आस्ट्रेलिया को यह अनुरोध करने का निर्णय लिया कि वह इस मामले के संबंध में पशु पालन, डेयरिंग और मत्स्य पालन विभाग (डी.ए.एच.डी.एफ), भारत सरकार से संपर्क करे।

(2) +F लोगो और स्वास्थ्य संबंधी दावों की अनुमति नीति

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर विटामिन ए से पौष्टित खाद्य वस्तुओं के संबंध में ''रतौंधी रोकने में मददगार'' दावे को ''रतौंधी से बचाव में मददगार'' करने तथा विटामिन डी से पौष्टित खाद्य वस्तुओं के संबंध में ''मजबूत हड्डियाँ'' दावे को ''हड्डियाँ मजबूत बनाने में मददगार'' करने का निर्णय लिया। प्राधिकरण का यह भी विचार था कि प्रस्तावित दावे केवल सुझाव के लिए होंगे, विनियमों के रूप में नहीं, और वैज्ञानिक साक्ष्य होने पर इन्हें अधिक व्यापक रूप में उपयोग किया जा सकता है।

(3) केसरी दाल के उपभोग से सुरक्षा का मूल्यांकन/आकलन/केसरी दाल के उपभोग पर प्रतिबंध

प्राधिकरण ने गठित किए गए अंतर-मंत्रालयी वैज्ञानिक दल की रिपोर्ट को नोट कर मंत्रालय को भेजी गई मसौदा अधिसूचना को वापस लेने का निर्णय लिया।

(4) प्रसंस्कृत खाद्यों में जी.एम के लेबलिंग मानदंड और थ्रेसहोल्ड लेवल

प्राधिकरण ने वैज्ञानिक पैनल और वैज्ञानिक समिति की सिफारिशों का अनुमोदन कर उपभोक्ता मामले विभाग को इस संबंध में अपनी अधिसूचना की पुनरीक्षा करने का अनुरोध करने का निर्णय लिया।

(5) प्रतिचयन और विश्लेषण पद्धतियाँ

(क) अच्छी खाद्य प्रयोगशाला रीतियों (जी.एफ.एल.पी) पर प्रलेख

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर 'अच्छी खाद्य प्रयोगशाला रीतियों (जी.एफ.एल.पी) पर प्रलेख' का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(ख) साबूदाने के विभिन्न मानदंडों की विश्लेषण पद्धतियाँ

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर साबूदाने के विभिन्न मानदंडों के विश्लेषण की पद्धतियों का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(ग) तेल और वसा विश्लेषण पद्धति मैनुअल में अम्ल मान ज्ञात करने की प्रक्रिया का पुनरीक्षण

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर संशोधित प्रक्रिया का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(घ) स्कूली बच्चों के लिए तैयार खाद्य की परीक्षण/विश्लेषण पद्धतियों पर दिशा-निर्देश निर्धारण

चूँकि एफ.एस.एस.ए.आई ने स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित ओर स्वास्थ्यकर आहार पर विनियम बना लिए हैं, अत: यह निर्णय लिया गया कि कार्यसूची की इस मद को निकाल दिया जाए।

कार्यसूची की मद सं0 24.2 : खाद्य सुरक्षा अनुपालन

(क) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 16(5) के अंतर्गत निर्देश – अभिपुष्टि के लिए मानक

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर खाद्य सहयोज्य पदार्थों के संबंध में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 16(5) के अंतर्गत निर्देश देने की कार्रवाई की अभिपुष्टि की।

(ख) मंत्रीमंडलीय सचिवालय की अनुशंसा के अनुसार संसदीय प्रक्रिया मैनुअल के पैरा 11.2 में संशोधन

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

(ग) चाय की थैलियों में स्टैपल पिनों के उपयोग पर प्रतिबंध

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार किया और इतनी कम अवधि में उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाने के बारे में उद्योग द्वारा व्यक्त की गई कठिनाई तथा श्री संतोष सारंगी,

संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए इसे लागू करने की समय-सीमा 20 जून, 2019 तक बढ़ाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची की मद सं0 24.3 : खाद्य परीक्षण और निगरानी

क. निम्न की अभिपुष्टि –

1. **एफ.एस.एस.ए.आई अधिसूचित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की सूची**
   (क) अधिसूचित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की सूची की अभिपुष्टि
   (ख) रेफरल खाद्य प्रयोगशालाओं की सूची की अभिपुष्टि

   प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर रेफरल प्रयोगशालाओं सहित एफ.एस.एस.ए.आई-अधिसूचित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की प्रस्तावित सूची की अभिपुष्टि की।

2. **ईआईए-पीटीएच, मुंबई में आईटीस-एफएसएएन (अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और अनुप्रयुक्त पोषण प्रशिक्षण केंद्र) के अंग के रूप में प्रस्तावित HoT सुविधा के लिए एफ.एस.एस.ए.आई, ईआईसी और जीएफएसपी के मध्य किया जाने वाला समझौता ज्ञापन**

   प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर प्रस्ताव की अभिपुष्टि की।

ख. निम्नलिखित के लिए अनुमोदन –

1. **खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रदान करने और अधिसूचित करने संबंधी मसौदा विनियम की अधिसूचना**
2. **खाद्य विश्लेषक परीक्षा के साथ कनिष्ठ विश्लेषक परीक्षा (जेएई) आयोजित करना**
3. **कनिष्ठ विश्लेषकों के लिए खाद्य विश्लेषण अध्येयतावृत्ति (एफआईएफए) आरंभ करना**
4. **एफ.एस.एस.ए.आई की प्रयोगशालाओं (एफ.आर.एस.एल, गाजियाबाद और सी.एफ.एल, कोलकाता) का एक ही 'लोगो' के अंतर्गत क्रमश: गाजियाबाद और कोलकाता की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला (एनएफएल) के रूप में पुनर्नामन करना।**
   प्राधिकरण ने कार्यसूची की मदों पर विचार कर मद सं0 1, 2 और 4 का सैद्धांतिक अनुमोदन किया। बाद में पुनर्नामित राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का एक ही और नए 'लोगो' पर अध्यक्ष महोदय के स्तर पर निर्णय लेने के बारे में भी सहमति हुई।

ग. सूचना के लिए:

1. **पुनरीक्षक डार्ट (द्रुत परीक्षण से अपमिश्रण ज्ञात करना) पुस्तिका का विमोचन किया गया और सोफ्ट कॉपी वेबसाइट पर डाली गई।**

2. केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर प्रगति:

   (क) राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं का सशक्तीकरण,

   (ख) चल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला (एमएफटीएल), जिसे चल खाद्य सुरक्षा (एफएसडब्ल्यू) नया नाम दिया गया, की स्थापना करना,

(ग) रेफरल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का सशक्तीकरण

3. एफ.आर.एस.एल, गाजियाबाद का प्रचालन और प्रबंधन पीपीपी मोड में करने की स्थिति

प्राधिकरण ने कार्यसूची की उपर्युक्त मदों को नोट किया।

कार्यसूची की मद सं0 24.4 : खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण

क) खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षा प्रमाणन (फोस्टैक)

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर उसका सैद्धांतिक रूप में अनुमोदन किया। तथापि यह सुझाव दिया गया कि पर्यवेक्षकों के अनिवार्य प्रशिक्षण के लिए समय-सीमाओं को लागू करने से पूर्व उन पर राज्यों के साथ से चर्चा कर ली जाए।

कार्यसूची की मद सं0 24.5 : शासन और प्रशासन

(क) एफ.एस.एस.ए.आई की वर्ष 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट

प्राधिकरण ने एफ.एस.एस.ए.आई की वर्ष 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार कर उसका अनुमोदन किया।

(ख) भर्ती नियम बनाना और पदों का सृजन

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर उसका यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(ग) मुंबई, चेन्नई, गाजियाबाद और कोलकाता में एफ.एस.एस.ए.आई टॉवरों का निर्माण;

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर मुंबई, चेन्नई, गाजियाबाद और कोलकाता में एफ.एस.एस.ए.आई टॉवर चरणबद्ध रूप में बनाने संबंधी प्रस्ताव का सैद्धांतिक रूप में अनुमोदन किया।

कार्यसूची की मद सं0 24.6: खाद्य सुरक्षा अनुपालन

(क) नियमित निरीक्षणों और प्रतिचयन द्वारा खाद्य सुरक्षा अनुपालन (फॉस्कोरिस)

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद को नोट कर उसका अनुमोदन किया।

(ख) तृतीय पक्ष ऑडिट

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर खाद्य सुरक्षा ऑडिटिंग एजेंसियों को अस्थायी मान्यता प्रदान करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया, जिससे एफ.एस.एस.ए.आई रेलवे जैसी संस्थाओं की इन एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग करके खाद्य सुरक्षा ऑडिट आरंभ कर सके। प्राप्त अनुभव और फीडबैकों का उपयोग इससे संबंधित विनियम बनाते समय किया जाएगा।

(ग) खाद्य आयातों के नियमन का सरलीकरण और उससे संबंधित स्पष्टीकरण

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद को नोट कर प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की।

मद सं0 v: केवल सूचनार्थ मदें

1. **खाद्य सुरक्षा अनुपालन**

(क) एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा जारी किए गए निर्देश और आदेश

(1) **निम्नलिखित के अनुपालन के लिए समय-सीमा बढ़ाने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 16(5) के अंतर्गत निर्देश:**

(i) **खाद्य उत्पाद के लेबलों पर श्रेणी शीर्ष, ट्रांस फैट, अंश और सैच्युरेटित फैट अंश की घोषणा से संबंधित अधिसूचना सं0 1(94)2015/ अधिसूचना पी एंड एल/एन्फ, दिनांक 25 मई, 2016, 15 जून 2016;**

(ii) **कैफीनित पेय पदार्थों के मानकों से संबंधित अधिसूचना सं0 पी.15025/93/2011'पीएफए/एफ.एस.एस.ए.आई, दिनांक 02 दिसंबर, 2016 के अनुपालन के लिए समय-सीमा में वृद्धि, दिनांक 15 जून, 2016;**

(iii) **विभिन्न खाद्य श्रेणियों में उपयोग के लिए खाद्य सहयोज्य पदार्थों के मानकों से संबंधित अधिसूचना फा. सं0 11/09/Reg/हार्मोनाइजेशन/ 2014, दिनांक 05 सितंबर, 2016 के अनुपालन की समय-सीमा में वृद्धि, दिनांक 30 जून, 2016;**

(2) **निम्नलिखित के क्रियान्वयन के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 16(5) के अंतर्गत निर्देश:**

(i) **''लौह (Fe)'', दिनांक 31 मई 2017 के स्रोत के रूप में ''हेमेआयरन'' के उपयोग पर प्रतिबंध;**

(ii) **ऊँट के दूध के मानक, दिनांक 01 जून 2017;**

(iii) **टेबल ओलिव के मानक, दिनांक 05 जून 2017;**

(iv) **दालचीनी में कौमारिन अंश के मानक, दिनांक 05 जून, 2017;**

(v) **ब्रेड और बिस्कुट में खमीर का उपयोग, दिनांक 30 जून, 2017;**

(vi) **गैर-कार्बोनेटित जल आधारित पेय पदार्थों के मानक (गैर एल्कोहलीय), दिनांक 6 जुलाई, 2017;**

(vii) **दूध और दुग्ध उत्पादों के पुनरीक्षित मानक और क्रीम की बिक्री पर कुछ प्रतिबंध**

प्राधिकरण ने कार्यसूची की उपर्युक्त मदों पर विचार कर इस संबंध में की गई कार्रवाई की अभिपुष्टि की।

(ख) खाद्य आयात के सरलीकरण के आदेश/निर्णय

प्राधिकरण ने सूचनार्थ परिचालित कार्यसूची की मद को नोट किया।

(ग) सूचना के लिए 19वीं केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठक का कार्यवृत्त

प्राधिकरण ने सूचनार्थ परिचालित कार्यसूची की मद को नोट किया।

2. **सामाजिक और व्यवहारगत परिवर्तन**

क) सुरक्षित और पोषक आहार (एसएनएफ) संबंधी पहलों के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के लिए सहभागिता ढाँचा

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद को नोट कर सुरक्षित और पोषक आहार (एसएनएफ) संबंधी पहलों के क्रियान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 5 लाख रुपये तक की संचयी राशि की वित्तीय सहायता देने के प्रस्ताव का यथावत् अनुमोदन किया। आगे, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एसएनएफ गतिविधियों के लिए स्वयं निधि नियत करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए एसएनएफ गतिविधियों के लिए अपने ही

संसाधनों से 2 लाख रुपये या इससे अधिक राशि जुटाने वाले राज्य/संघ शासित क्षेत्र को एफ.एस.एस.ए.आई बराबर राशि देगी।

3. **वैश्विक व्याप्ति (अपडेट)**

क) **कोडेक्स के अंतर्गत गतिविधियाँ – कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमिशन के 40वें सत्र (जुलाई 2017) के बारे में जानकारी**

प्राधिकरण ने सूचनार्थ परिचालित कार्यसूची की मद को नोट किया।

4. **प्रौद्योगिकी का उपयोग**

क) **इन्फोल्नेट का प्रारंभ**

ख) **हेल्पडेस्क का सशक्तीकरण**

ग) **एफ.एस.एस.ए.आई के कंज्यूमर कनेक्ट का उपभोक्ता मामले मंत्रालय के कंज्यूमर मोबाइल एप से समामेलन।**

प्राधिकरण ने सूचना के लिए परिचालित कार्यसूची की उपर्युक्त मद को नोट किया। हेल्प डेस्क के सशक्तीकरण के संबंध में सदस्यों को पूर्व की शिकायत निपटान प्रणाली के संबंध में फीडबैक देने का अनुरोध किया गया। सीआईटीओ को एफएलआरएस से संबंधित मुद्दे शीघ्र हल करने को कहा गया।

मद सं0 VI अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य मदें

पूरक मद सं0 24.(VI) (1)

खाद्य वापसी के लिए प्रस्तावित दिशा-निर्देश

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद को नोट कर खाद्य वापसी संबंधी प्रस्तावित दिशा-निर्देशों के संबंध में अपनी सम्मतियाँ, यदि कोई हों, सात दिन के अंदर देने का अनुरोध किया, जिसके बाद उन्हें अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से अंतिम रूप दिया जाएगा।

पूरक मद सं0 24.VI (2)

प्रस्तावित मसौदा खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) संशोधन विनियम, 2017

प्राधिकरण ने मसौदा खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) संशोधन विनियम, 2017 संबंधी कार्यसूची की मद पर विचार किया। यह बताया गया कि खाद्य सुरक्षा डिस्प्ले बोर्ड सभी खाद्य कारोबारियों के लिए लागू होगा, न कि केवल रेस्टोरेंटों के लिए, और उसे चरणबद्ध रूप में अनिवार्य बनाया जाएगा। यह निर्णय लिया गया कि यदि प्रस्तावित मसौदा विनियमों पर सदस्यों की कोई सम्मतियाँ हों तो वे उन्हें सात दिनों के अंदर भेज दें। सम्मतियों पर विचार करने के बाद प्रस्तावित विनियमों को अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से अंतिम रूप देकर लागू कर दिया जाएगा।

पूरक मद सं0 24.VI (3)

''भारतीय खाद्य संस्कृति – आएँ, अच्छी आदतें फिर अपनाएँ'' परियोजना

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर भारतीय खाद्य संस्कृति परियोजना को सैद्धांतिक रूप में अनुमोदित किया। यह भी सुझाव दिया गया कि यदि आवश्यक हो तो इस संबंध में जेएनयू के डॉ. पुष्पेष पंत और डॉ. दुआ से परामर्श लिया जा सकता है।

पूरक मद सं0 24.VI (4)

मानक/विनियम निर्धारण में वैज्ञानिक समिति/पैनलों की भूमिका

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर निर्णय लिया कि इस मुद्दे पर पहले वैज्ञानिक समिति द्वारा विचार किया जाए।

पूरक मद सं0 24.VI (5)

मसालों और पाक् जड़ी-बूटियों पर नए वैज्ञानिक पैनल का गठन

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर नए ''मसाले और पाक् जड़ी-बूटी वैज्ञानिक पैनल'' के गठन और ''फल एवं सब्जी और उनके उत्पाद (सूखे फल और गिरियाँ, लवण, स्पाइस और कंडीमेंट) वैज्ञानिक पैनल'' का नाम ''फल और सब्जी और उनके उत्पाद (सूखे फल और गिरियों सहित) वैज्ञानिक पैनल'' रखने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। मसालों और पाक् जड़ी-बूटियों में लवण को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया।

पूरक मद सं0 24.VI (6)

ई-वाणिज्य दिशा-निर्देशों में संशोधन

प्राधिकरण ने ई-कॉमर्स दिशा-निर्देशों में प्रस्तावित संशोधन संबंधी कार्यसूची की मद पर विचार किया। ई-कॉमर्स दिशा-निर्देशों को खाद्य सुरक्षा और मानक (अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 में शामिल करने का निर्णय लिया गया। सदस्यों को अपने सुझाव, यदि कोई हों, सात दिनों में देने को कहा गया, जिसके बाद उन्हें अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से अंतिम रूप दिया जाएगा।

पूरक मद सं0 24.VI (7)

खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यकर आहार) विनियम, 2017 का मसौदा

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार किया। विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि खंड 4 में स्कूल परिसर में एच.एफ.एस.एस खाद्य को निरुत्साहित करने पर बल दिया जाना चाहिए और खंड 5 को स्कूल परिसर से 50 मीटर के अंदर एच.एफ.एस.एस. खाद्य की बिक्री पर केवल स्कूली बच्चों पर प्रतिबंध लगाने के लिए संशोधित किया जाए। सदस्यों को अपने सुझाव, यदि कोई हों, 15 दिनों के अंदर देने को कहा गया। सुझावों पर विचार करने के बाद प्रस्तावित विनियमों को अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन के बाद मसौदे के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।

पूरक मद सं0 24.VI (8)

खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग में प्रयुक्त टिन के मानकों को लागू करने के संबंध में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 16 (5) के साथ पठित धारा 18 2(घ) के अंतर्गत निर्देश

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया और निर्देश दिया कि उसे मसौदा खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियमों में उपयुक्ततः शामिल किया जाए।

अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया कि सहभागियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भविष्य में प्राधिकरण की बैठकें 11:00 बजे पूर्वाह्न आरंभ करने की बजाय 10:00 बजे पूर्वाह्न आरंभ की जा सकती हैं।

बैठक सभी उपस्थित सहभागियों को धन्यवाद सहित समाप्त हुई।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अध्यक्ष

अनुबंध

सहभागियों की सूची

क. प्राधिकरण के सदस्य

1. श्री आशीष बहुगुणा, अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई;
2. श्री पवन कुमार अग्रवाल, सी.ई.ओ, एफ.एस.एस.ए.आई, सदस्य सचिव;
3. श्री नवदीप रीवा, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली
4. श्री संतोष सारंगी, संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय;
5. श्री पी.वी. रामाशास्त्री, संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग;
6. श्री एस.के. वर्मा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
7. डॉ. अर्चना सिन्हा, संयुक्त निदेशक, कृषि मंत्रालय;

क. विशेष आमंत्रिति

1. सुश्री पर्णा दासगुप्ता, फिक्की;
2. सुश्री मीतू कपूर, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्टी (सीआईआई);
3. सुश्री श्रेया पांडेय, ऑल इंडिया फूड प्रोसेसर्ज एशोसिएशन (एआईएफपीए);

ख. एफ.एस.एस.ए.आई के अधिकारी

1. सुश्री माध्वी दास, सी.एम.एस.ओ
2. श्री सुनील बख्शी, सलाहकार (कोडेक्स)
3. श्री एन. भास्कर, सलाहकार (क्यूए)
4. श्री एस.के यादव, निदेशक (आरसीडी)
5. श्री राजेश सिंह, निदेशक (आरसीडी)
6. डॉ. रूबीना शाहीन, निदेशक (आरएआरडी)
7. सुश्री सुनीति टुटेजा, निदेशक (एफ.एस.एम.एस)
8. श्री राज सिंह, प्रमुख (सामान्य प्रशासन)
9. श्री तन्मय प्रसाद, मुख्य सूचना और प्रौद्योगिकी अधिकारी (आईटी)
10. डॉ. ए.सी मिश्रा, संयुक्त सचिव (मानक)
11. डॉ. ए. के. शर्मा, परामर्शदाता
12. डॉ. एस. सी. खुराना, परामर्शदाता
13. सुश्री अनीता मखीजानी, उप निदेशक (तकनीकी)
14. श्री पी. कार्तिकेयन, सहायक निदेशक (विनियम/कोडेक्स)
15. श्री राजेश कुमार, वैज्ञानिक iv(I)
16. सुश्री रत्ना श्रीवास्तव, वैज्ञानिक iv(I) (विनियम)
17. डॉ. (सुश्री) शेल्वी अग्रवाल, तकनीकी अधिकारी (मानक)